

शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय

आयुष परिसर, कलियासोत डेम के किनारे, एम.ए.सी.टी.हिल्स, भोपाल
कमांक / कालेज / पी.जी.शुल्क / 24 / भोपाल,दिनांक:

:: आदेश ::

मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल के राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम एवं स्वशासी कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदित शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भोपाल में शिक्षण सत्र 2024-25 के लिये स्नातकोत्तर (एम.डी.होम) पाठ्यक्रम हेतु निम्नानुसार शुल्क का निर्धारित की गई है :-

क्र०	शुल्क विवरण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1.	शिक्षण शुल्क	45,000-00	45,000-00	45,000-00
2.	स्टूडेंट फण्ड	5,000-00	5,000-00	5,000-00
3.	प्रवेश शुल्क प्रथमवार प्रवेश के समय	5,000-00	-	-
4.	वि०वि० अन्य प्रभार सहित	10,000-00	10,000-00	10,000-00
5.	नामांकन, पात्रता (छात्रों द्वारा वि.वि. में सीधे जमा किया जावेगा)	-	-	-
6.	भवन निर्माण/संघारण प्रथमवार प्रवेश के समय	10,000-00	-	-
7.	विकास	10,000-00	10,000-00	10,000-00
8.	शैक्षणिक भ्रमण	5,000-00	5,000-00	5,000-00
9.	अनुसंधान शोध	-	25,000-00	-
10.	आई.टी.नेट, कम्प्युटर आदि	1,000-00	1,000-00	1,000-00
	योग	91,000-00	1,01,000-00	76,000-00
	वापसी योग्य लगने वाली शुल्कें			
1.	महाविद्यालय सुरक्षा निधि रुपये 10,000-00	10,000-00	-	-
2.	छात्रावास सुरक्षा निधि (सिर्फ छात्रावास में निवासित छात्रों हेतु)	10,000-00	-	-
	योग:-	20,000-00		
3.	छात्रावास शुल्क (सिर्फ छात्रावास में निवासित छात्रों हेतु) प्रति शैक्षणिक सत्र शुल्क वापसी योग्य नहीं ।	20,000-00	20,000-00	20,000-00

2/ उपरोक्त निर्धारित शुल्क स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम.डी.-होम में शिक्षण सत्र 2024-25 में प्रवेशित छात्रों पर लागू होगी ।

प्रधानाचार्य एवं सी.ई.ओ.
शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय भोपाल म.प्र.

भोपाल,दिनांक:

पृ०कमांक/कालेज/पी.जी.शुल्क/24/5810-17
प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

26/7/24

1. प्रमुख सचिव महो० मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग मंत्रालय
2. आयुक्त महो० भोपाल संभाग भोपाल एवं मान. अध्यक्ष स्वशासी कार्यकारिणी समिति
3. आयुक्त महो० संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश भोपाल
4. डॉ. निधी गुप्ता, उप संचालक संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश मो०न० 9407101108
5. डॉ. अनन्तसिंह गौर, प्रभारी कालेज वेबसाइट की ओर भेजकर लेखकर है कि इस शुल्क संबंधि आदेश को कालेज की वेबसाइट www.ghmcbhopalayush.in पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
6. लेखा कक्ष-2/शुल्क संघारण कक्ष/स्थापना/छात्रवृत्ति कक्ष स्थानीय महाविद्यालय भोपाल
7. नोटिस बोर्ड में प्रदर्शनार्थ-शिक्षण सत्र 2024-25 से एम.डी. होम पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के संज्ञानार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि आप सभी शासन द्वारा निर्धारित शुल्क प्रवेश दिनांक से 30 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से जमा करें, अन्यथा रुपये 20/-प्रतिदिवस के मान से प्रचलित विलम्ब शुल्क सहित राशि जमा करनी होगी जिसके लिये अभ्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा ।

प्रधानाचार्य एवं सी.ई.ओ.
शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय भोपाल म.प्र.